कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल
होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 1131 /नातौ/मी.ऑ.क./2018 भोपाल दिनांक :21 /03/2018

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :- पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसिंग पंप के "इलेक्ट्रानिक पुर्जों की सीलिंग-सत्यापन एवं मुद्रांकन" की प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ :- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3618/नातौ/अ-1(1)/2011 दिनांक 28.11.2011, पत्र क्रमांक 4037/नातौ/मी.ऑ.क./14 दिनांक 19.11.2014 एवं पत्र क्रमांक 1064/नातौ/मी.ऑ.क./15 दिनांक 18.02.2015.
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 807/नातौ/प्रवर्तन/2018 दिनांक 28.02.2018.

-----00-----

उपरोक्त विषयायंतर्गत लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3618 दिनांक 28.11.2011 के माध्यम से आपको पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसिंग पंप के "इलेक्ट्रानिक पुर्जों की सीलिंग-सत्यापन एवं मुद्रांकन" की प्रक्रिया के संबंध में दिये गये निर्देशानुरूप कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे व कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4037 दिनांक 19.11.2014 एवं पत्र क्रमांक 1064 दिनांक 18.02.2015 से पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसिग पंप में इलेक्ट्रानिक चिप लगाकर डिलेवरी प्रभावित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है ।

संज्ञान में आया है कि कुछ निरीक्षक पूर्व में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं । अतः संदर्भित पत्र से प्रेषित निर्देशों की प्रति पुन: संलग्न प्रेषित कर आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं यदि कोई कठिनाई हो तो इस कार्यालय को उप/सहायक नियंत्रक के माध्यम से अवगत् करावें।

साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक 807 दिनांक 28.02.2018 से retail outlets में स्थापित डिस्पेंसिंग पंप के उन्नयन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना भी सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

S Jain
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

पृ0क्र0 1132 /नातौ/मी.ऑ.क./2018 भोपाल दिनांक : 21 /03/2018

प्रतिलिपि :-

समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

S Jain
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक माप विज्ञान)
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 3618 / नातौ / अ–1(1) / 2011 भोपाल ,दिनांक 28/11/2011

प्रति,

समस्त निरीक्षक
नाप–तौल (विधिक माप विज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :– पेट्रोल / डीजल के डिस्पेंसिगं पंप कें ''इलेक्ट्रानिक पुर्जों की सीलिंग–सत्यापन एवं मुद्रांकन'' की प्रकिया के संबंध में ।

–00–

पेट्रोल / डीजल के डिस्पेंसिगं पम्पों के इलेक्ट्रानिक पुर्जों में हेरा–फेरी कर प्रदायगी की मात्रा संबधी धोखाधड़ी को रोके जाने हेतु नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान) विभाग द्वारा की जाने वाली सीलिंग प्रकिया को अधिक प्रभावी किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए सत्यापन एवं मुद्रांकन / सीलिंग के संबध में पत्र के साथ दिशा निर्देश संलग्न है।

उक्त निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल / डीजल के डिस्पेंसिगं पम्पों का सत्यापन / मुद्रांकन करना सुनिशचित किया जाए । किसी पंप विशेष में इन निर्देशों के अनुरूप सीलिंग या स्टांपिंग में कोई कठिनाई हो तो उस मॉडल विशेष का उल्लेख कर विस्तृत रूप से कठिनाई को अपने उप / सहायक नियंत्रक के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत् करावें। कठिनाई के संबंध में इस कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक ऐसे डिस्पेंसिंग पंप का सत्यापन / मुद्रांकन सहायक / उप नियंत्रक की उपस्थिति में एवं उनसे तात्कालिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए किया जावे।

संलग्न :– दिशा–निर्देश

नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 3619 / नातौ / अ–1(1) / 2011 भोपाल ,दिनांक 28/11/2011

प्रतिलिपि :–

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. आई.ओ.सी.एल. / बी.पी.सी.एल. / एच.पी.सी.एल. / रिलायंस पेट्रालियम / एस्सार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वे अपने अधिनस्थ सेल्स ऑफिसर एवं अन्य तकनीकी अमले को इस संबंध में सूचित कर निर्देशानुसार मुद्रांकन एवं सीलिंग सुनिश्चित कराएं।किसी पंप विशेष में इन निर्देशों के अनुरूप सीलिंग या स्टांपिंग में कोई कठिनाई हो तो उसमें आवश्यक सुधार कर सत्यापन / मुद्रांकन करावें। यदि फिर भी निर्देशानुसार सत्यापन एवं मुद्रांकन करना संभव नहीं हो तो उस मॉडल विशेष की कठिनाई का विस्तृत रूप से उल्लेख कर इस कार्यालय को अवगत् कराएं।

संलग्न :–दिशा–निर्देश

नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक माप विज्ञान) म.प्र. भोपाल

पेट्रोल/डीजल के डिस्पेंसिगं पंप के "इलेक्ट्रानिक पुर्जों की सीलिंग–सत्यापन एवं मुद्रांकन" की प्रक्रिया के संबध में दिशा–निर्देश –

1 प्रत्येक डिस्पेंसिंग पंप के सत्यापन से पूर्व वि.मा.वि. अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि आकस्मिक विधुत आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में डिस्प्ले में के लिये बैटरी बैक–अप चालू रहना चाहिये। इस हेतु केबिन मे मेनस्विच को बंद करने पर भी डिस्प्ले संख्याक दिखने चाहिये। जिन डिस्पेंसिंग पंपों का बैटरी बैक–अप चालू न हो उनका सत्यापन न किया जाए ।

2 इलेक्ट्रानिक मदर बोर्ड एवं अन्य सर्किट बोर्ड/डिस्प्ले बोर्ड को **TWINE** (मोटा सीलिंग धागा) का उपयोग कर **M-SEAL** के द्वारा इस तरह सील किया जाए के बिना सील तोड़े उक्त इलेक्ट्रानिक बोर्ड/डिवाईस को निकाला न जा सके ।

3 डिस्पेसिंग पम्पस् के कनेक्टर्स एवं केबल्स को इस प्रकार सील किया जाए कि बगैर सील तोड़े उन्हें पृथक न किया जा सके इस हेतु सीलिंग हेतु **TWINE** (मोटा सीलिंग धागा) उपयोग कर **MSEAL** के द्वारा इस तरह सील किया जाए के बिना सील तोड़े केबल्स को निकाला न जा सके ।

4 इलेक्ट्रानिक टोटलाईजर की रिडिंग देखने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी वि.मा.वि.अधिकारी अनिवार्य रूप से समक्षकर एवं उसे लिखकर उसकी एक पृथक से फाईल संधारित कर रखे। सत्यापन के समय मैकेनिकल/इले.मैके./इलेक्ट्रानिक टोटलाईजर्स की रीडिंग्स के साथ–साथ इलेक्ट्रानिक टोटलाईजर्स की रीडिंग्स का सत्यापन प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जावे ।

5 डिस्पेंसिंग पम्प को सत्यापित करते समय यह विश्वास होने पर कि कोई इलेक्ट्रानिक पुर्जे जैसे इलेक्ट्रानिक बोर्ड, डिप स्विच, ई–प्रोम आदि को सीलिंग प्रक्रिया के पश्चात भी बदला/प्रभावित किया जा सकता हो तो उस पर वि.मा.वि.अधिकारी अपने विवेकानुसार स्व– हस्ताक्षरित कर बटर पेपर सील का उपयोग करेगा व सत्यापन प्रमाण पत्र में उसका भी उल्लेख भी करेगा।

6 डिस्पेंसिंग पम्पस् जिनमें केलीब्रेशन **K** फेक्टर के माध्यम से होता है उन पंपो के सत्यापन के समय **K** फेक्टर के मान एवं इसके निर्धारित करने की दिनांक का उल्लेख सत्यापन प्रमाण पत्र पर किया जाए। सत्यापन/मुद्रांकन के समय ही कंपनी के अधिकृत तकनीशियन से सॉफ्टवेयर डाटा हिस्ट्री किस प्रकार अवलोकित की जा सकती है यह जानकारी अनिवार्य रूप से समक्षकर एवं उसे लिखकर उसकी एक पृथक से फाईल संधारित कर रखे।

Sd/-

नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

<u>कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल</u>

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 4037/नातौ/मी.ऑ.क./14 भोपाल दिनांक : 19/11/2014

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :- पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसिंग पंप के डिलीवरी प्रभावित करने के संबंध में ।

संदर्भ :- समाचार पत्रों में पुलिस विभाग (क्राईम ब्रांच) द्वारा पेट्रोल/डीजल पंपों पर अनियमितताऐं पाये जाने बाबत ।

---00---

उपरोक्त विषयायंतर्गत सूचित किया जाता है कि पेट्रोल/डीजल पंप संस्थानों में डिस्पेंसिंग पंपों के "इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले में चिप द्वारा गडबडी करने के समाचार प्रकाशित हुए जो अत्यंत गंभीर है जिसे देखते हुए आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त पेट्रोल/डीजल पंप संस्थानों में स्थापित डिस्पेंसिंग पंपों के सत्यापन /मुद्रांकन के बारे में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. यदि पेट्रोल/डीजल कंपनी के डीलर द्वारा डिस्पेंसिंग पंपों के अगले सत्यापन तिथि के पूर्व किसी तकनीकी खराबी की वजह से वह पुन: सत्यापन/मुद्रांकन हेतु आपसे अनुरोध किया जाता है तो आप तुरंत सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही नहीं करेंगे बल्कि इसकी सूचना संबंधित उप/सहायक नियंत्रक को देंगे । यदि किसी खराबी की वजह से सुधार हेतु अनुमति मांगी जाती है तो मशीन में क्या वास्तविक खराबी है इसकी जानकारी कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि से लिखित रूप में प्राप्त कर एवं पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के पश्चात ही पुन: सत्यापन/मुद्रांकन कार्य हेतु सुधार करने की अनुमति प्रदान करेंगे और इसकी प्रति सुरक्षित रखेंगे । उपरोक्तानुसार कार्यवाही पश्चात यदि स्थिति पुन: सत्यापन/मुद्रांकन योग्य है तो संबंधित ऑईल कंपनी के अधिकृत फिटर की उपस्थिति में पुन: सत्यापन कार्य सुनिश्चित करेंगे ।

निरंतर.......2

2. प्रत्येक सत्यापन/मुद्रांकन पश्चात संबंधित संस्था को सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि अथवा सुधारक से परीक्षण रिपोर्ट (टेस्टिंग रिपोर्ट) की एक प्रति प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखा जाए | इस टेस्टिंग रिपोर्ट में इस बात का विशेष वर्णन रहें कि संबंधित डिस्पेंसिंग पंप में मॉडलों के अनुमोदन में वर्णित पुर्जों के अलावा कोई भी अतिरिक्त पुर्जा लगा नहीं है | इस टेस्टिंग रिपोर्ट पर संबंधित पेट्रोल पंप डीलर अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे | साथ ही इस टेस्टिंग रिपोर्ट को सुरक्षित रखेंगे |

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे |

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक /नातौ/मी.ऑ.क./14 भोपाल दिनांक : /11/2014

प्रतिलिपि :-

1- समस्त उप/सहायक नियंत्रक नाप-तौल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अधिनस्थों से निर्देशों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें |

2- आई.ओ.सी.एल./बी.पी.सी.एल./एच.पी.सी.एल./रिलायंस पेट्रोयिलम/ एस्सार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

नियंत्रक
नाप-तौल म0प्र0 भोपाल

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन – 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 1064/नातौ/मी.ऑ.क./15 भोपाल दिनांक : 18/02/2015

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक
समस्त निरीक्षक,
नाप तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :- पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसिंग पंप के डिलीवरी प्रभावित करने के संबंध में |

संदर्भ :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4037-38 /नातौ/मी.ऑ.क./14 भोपाल दिनांक 19/11/2014

---00---

उपरोक्त विषयायंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो | संदर्भित पत्र द्वारा समस्त निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था कि यदि पेट्रोल/डीजल कंपनी के डीलर द्वारा डिस्पेंसिंग पंपों के अगले सत्यापन तिथि के पूर्व किसी तकनीकी खराबी की वजह से वह पुनः सत्यापन/मुद्रांकन हेतु आपसे अनुरोध किया जाता है तो आप तुरंत सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही नहीं करेंगे बल्कि इसकी सूचना संबंधित उप/सहायक नियंत्रक को देंगे एवं समस्त उप/सहायक नियंत्रकों को निर्देश थे कि यदि किसी खराबी की वजह से सुधार हेतु अनुमति मांगी जाती है तो मशीन में क्या वास्तविक खराबी है इसकी जानकारी कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि से लिखित रूप में प्राप्त कर एवं पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के पश्चात ही पुनः सत्यापन/मुद्रांकन कार्य हेतु सुधार करने की अनुमति प्रदान करेंगे |

यह देखने में आया है कि कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि की रिपोर्ट सहित निरीक्षकों द्वारा अनुमति मांगे जाने पर भी अनुमति प्रदान करने में देरी की जा रही है जो कि उचित नहीं है | अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि की रिपोर्ट सहित निरीक्षकों द्वारा पुनः सत्यापन/मुद्रांकन कार्य हेतु अनुमति मांगी जाती है तो संबंधित उप/सहायक नियंत्रक द्वारा पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में यथोचित कार्यवाही कर निरीक्षक को अवगत करा दिया जावे | यदि पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के पश्चात भी संबंधित उप/सहायक नियंत्रक द्वारा पुनः सत्यापन/मुद्रांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना निरीक्षक को नहीं दी जाती है तो ऐसे प्रकरण में स्वमेव अनुमति मानी जाते हुए निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी |

SKJain

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल